

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART-I SECTION-1]

Government of India (Bharat Sarkar)
Ministry of Education (Siksha Mantralaya)
Department of Higher Education (Uchchatar Siksha Vibhag)
ICR Division

Kartavya Bhawan-2, New Delhi
Dated: 30th March, 2026

NOTIFICATION

No. 9-1/2022-U.3(A): Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as an Institution deemed to be University.

2. **And whereas,** an online application was uploaded on UGC Portal for grant of Institution deemed to be University status under distinct category to National Council of Educational Research and Training (NCERT), Sri Aurobindo Marg, New Delhi with the following six constituent units under Section 3 of the UGC Act, 1956.

- i. Regional Institute of Education, Ajmer, Rajasthan
- ii. Regional Institute of Education, Bhopal, Madhya Pradesh
- iii. Regional Institute of Education, Bhubaneswar, Odisha
- iv. Regional Institute of Education, Manasgangotri, Mysore, Karnataka
- v. North East Regional Institute of Education, Shillong, Meghalaya
- vi. Pandit Sunderlal Sharma Central Institute of Vocational Education, Bhopal, Madhya Pradesh.

2. **And whereas,** UGC, vide letter No.19-1/2022 (CPP-I/DU) dated 11.10.2022 and subsequent clarification dated 28.08.2023, recommended for issuance of Letter to Intent (LoI) to NCERT with certain conditions. The recommendation of the UGC Expert Committee was considered and approved by the Commission.

3. **And whereas,** the Ministry of Education, on the advice of UGC, issued Letter of Intent (LoI) dated 31.08.2023 to NCERT, New Delhi for fulfilment of certain conditions within a period of three years before declaration of NCERT, New Delhi as an Institution deemed to be University.

4. **And further whereas,** the Institution, vide letter dated 04.11.2025, submitted compliance report of the conditions of the LoI which was sent to UGC for verification and its advice. UGC informed that the compliance report was accepted by its Expert Committee. The recommendation of UGC Expert Committee was considered and approved by the Commission in its 595th meeting (Item No. 2.15) held on 30.01.2026.

5. **Now, therefore,** in exercise of powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of the UGC, hereby declares National

पुनिक

Council of Educational Research and Training, Sri Aurobindo Marg, New Delhi consisting of above mentioned six constituent units as an Institution deemed to be University under distinct category. The said declaration is subject to the following conditions:

- i. There shall be no diversion of assets or funds/revenues of the Institution Deemed to be University/or of its constituent teaching units, without prior permission of the UGC and Central Government.
- ii. NCERT, New Delhi shall not engage or indulge in any activities that are of commercial and profit making in nature.
- iii. The academic programmes to be offered at NCERT, New Delhi shall conform to the norms and standards prescribed by the UGC and the Statutory Councils/Bodies concerned.
- iv. NCERT, New Delhi shall start new academic Courses/Programmes, Off-Campus(es), Off-Shore Campus(es) only in accordance with the norms and guidelines issued by the UGC, from time to time, on the subject.
- v. NCERT, New Delhi shall take appropriate steps to commence research programmes as well as doctoral and innovative academic programmes. The Institute shall not keep confined only to presently new emerging areas but make endeavour to expand in other areas in accordance with the UGC Regulations / Guidelines as well as National Education Policy-2020.
- vi. NCERT, New Delhi shall take all the required steps to get all the eligible academic courses/programmes rated for valid accreditation by National Board of Accreditation (NBA) and the Institute to get valid accreditation by National Assessment and Accreditation Council (NAAC), as the case may be, in terms of the provisions as contained in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023, as amended from time to time.
- vii. All the prescribed norms and procedures of the Statutory Councils concerned in the matter of admission of students, intake capacity of students, renewal of approval to the academic course / programme, revision of intake capacity of students, starting of new courses / programmes, etc. shall continue to be in force, and shall be adhered to by National Council of Educational Research and Training (NCERT), Sri Aurobindo Marg, New Delhi.
- viii. NCERT, New Delhi shall submit its revised Memorandum of Association (MoA) / Rules to UGC/Ministry of Education as per the provisions of the UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023 at the earliest. As and when necessary, the Institute shall update or revise or modify its MoA / Rules, as per the provisions of the prevailing Regulations.
- ix. NCERT, New Delhi shall follow the fee structure as per the Rules and Regulations of the UGC and relevant Statutory Councils.
- x. NCERT, New Delhi shall participate in annual Indian rankings issued by National Institutional Ranking Framework (NIRF) of this Ministry.

सुनिश्चित

- xi. NCERT, New Delhi shall compulsorily create Academic Bank of Credits (ABC), identities of their students and upload their credit score in digital lockers and ensure that the credit scores are reflected in ABC Portal and adopt Samarth e-Gov.

पुनकेश नरुण

(Purnendu Kishore Banerjee)
Joint Secretary to the Govt. of India
Tel: +91 11 24015038

The Manager,
Government of India Press,
Minto Road, New Delhi - 110002.

Copy forwarded to:

1. The Secretary, Department of School Education & Literacy, Ministry of Education, New Delhi.
2. The Secretary, University Grants Commission, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi - 110002.
3. The Member Secretary, All India Council for Technical Education (AICTE), Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110070.
4. The Director, NCERT, Sri Aurobindo Marg, New Delhi.
5. Press Information Bureau, Shastri Bhawan, New Delhi-110001.
6. The Secretary-General, Association of Indian Universities, A.I.U. House, 16, Kotla Marg, New Delhi - 110002.
7. Joint Director (Administration) & Web Master, Department of Higher Education, Shastri Bhawan, New Delhi with the request to issue necessary instructions to the CMIS Unit to display this notification on the website of Department of Higher Education.
8. PS to Hon'ble EM
9. Guard file / Notification file.

(Jyoti Ranjan)

Under Secretary to the Govt. of India
Tel: +91 11 24014923

[भारत के राजपत्र भाग-1 खंड-1 में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
आईसीआर प्रभाग

कर्तव्य भवन -2, नई दिल्ली

दिनांक: 30 मार्च, 2026

अधिसूचना

सं. 9-1/2022-यू.3(अ): जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर उच्चतर शिक्षा संस्थान को सम-विश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित करने का अधिकार प्राप्त है।

2. और जबकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित छह घटक इकाइयों के साथ राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी), श्री अरबिंदो मार्ग, नई दिल्ली को विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत सम-विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के लिए यूजीसी पोर्टल पर एक ऑनलाइन आवेदन अपलोड किया गया।

- i. क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर, राजस्थान
- ii. क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल, मध्य प्रदेश
- iii. क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भुवनेश्वर, ओडिशा
- iv. क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, मानसगंगोत्री, मैसूर, कर्नाटक
- v. पूर्वोत्तर क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, शिलांग, मेघालय
- vi. पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल, मध्य प्रदेश।

2. और जबकि, यूजीसी ने दिनांक 11.10.2022 के पत्र संख्या 19-1/2022 (सीपीपी-1/डीयू) के बाद में दिनांक 28.08.2023 के स्पष्टीकरण के माध्यम से कुछ शर्तों के साथ एनसीईआरटी को आशय पत्र (एलओआई) जारी करने की सिफारिश की। यूजीसी विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर आयोग द्वारा विचार किया गया और इसे अनुमोदित किया गया।

3. और जबकि, शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी की सलाह पर एनसीईआरटी, नई दिल्ली को सम विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषित करने से पहले तीन वर्ष की अवधि के भीतर कुछ शर्तों को पूरा करने के लिए एनसीईआरटी, नई दिल्ली को दिनांक 31.08.2023 को आशय पत्र (एलओआई) जारी किया।

प्रोफे

4. और आगे जबकि, संस्थान ने दिनांक 04.11.2025 के पत्र के माध्यम से एलओआई की शर्तों की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे सत्यापन और सलाह के लिए यूजीसी को भेजा गया। यूजीसी ने सूचित किया कि अनुपालन रिपोर्ट को उसकी विशेषज्ञ समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया। यूजीसी विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर आयोग द्वारा दिनांक 30.01.2026 को हुई अपनी 595वीं बैठक (मद संख्या 2.15) में विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

5. अब, इसलिए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी की सलाह पर, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, श्री अरबिंदो मार्ग, नई दिल्ली को अलग-अलग श्रेणी के तहत एक सम-विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषित करता है। उक्त घोषणा निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

- i. यूजीसी और केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना सम-विश्वविद्यालय संस्थान/या इसकी घटक शिक्षण इकाइयों की परिसंपत्तियों या निधियों/राजस्व का कोई अन्यत्र उपयोग नहीं किया जाएगा।
- ii. एनसीईआरटी, नई दिल्ली किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा या उसमें सम्मिलित नहीं होगा जो वाणिज्यिक और लाभ कमाने वाली प्रकृति की हो।
- iii. एनसीईआरटी, नई दिल्ली में चलाए जाने वाले शैक्षिक कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और संबंधित सांविधिक परिषदों/निकायों द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप होंगे।
- iv. एनसीईआरटी, नई दिल्ली इस विषय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी मानदंडों और दिशा-निर्देशों के अनुसार ही नए शैक्षिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम, ऑफ-कैंपस (कार्यक्रम), अपतटीय परिसर शुरू करेगा।
- v. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली अनुसंधान कार्यक्रमों के साथ-साथ डॉक्टरेट और नवाचारी शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू करने के लिए उचित कदम उठाएगी। संस्थान केवल वर्तमान में उभरते क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यूजीसी विनियमों/दिशानिर्देशों के साथ-साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसार अन्य क्षेत्रों में विस्तार करने का प्रयास करेगा।
- vi. एनसीईआरटी, नई दिल्ली समय-समय पर यथा संशोधित यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 में निहित प्रावधानों के अनुसार सभी पात्र शैक्षणिक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) द्वारा वैध प्रत्यायन के लिए

प्रतिक्र

मूल्यांकित कराने और संस्थान को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा वैध प्रत्यायन प्राप्त कराने जैसा भी मामला हो, के लिए सभी अपेक्षित कदम उठाएगा।

- vii. छात्रों के प्रवेश, छात्रों की प्रवेश क्षमता, शैक्षणिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के अनुमोदन के नवीनीकरण, छात्रों की प्रवेश क्षमता में संशोधन, नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम शुरू करने आदि के मामले में संबंधित सांविधिक परिषदों के सभी निर्धारित मानदंड और प्रक्रियाएं लागू रहेंगी और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी), श्री अरविंदो मार्ग, नई दिल्ली द्वारा इनका अनुपालन किया जाएगा।
- viii. एनसीईआरटी, नई दिल्ली यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुसार यूजीसी/शिक्षा मंत्रालय को जल्द से जल्द अपना संशोधित संगम ज्ञापन (एमओए)/नियम प्रस्तुत करेगा। जब भी आवश्यक हो, संस्थान प्रचलित विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अपने एमओए/नियमों को अद्यतित या संशोधित या परिवर्तित करेगा।
- ix. एनसीईआरटी, नई दिल्ली यूजीसी और संबंधित सांविधिक परिषदों के नियमों और विनियमों के अनुसार शुल्क संरचना का पालन करेगा।
- x. एनसीईआरटी, नई दिल्ली इस मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) द्वारा जारी वार्षिक भारतीय रैंकिंग में भाग लेगा।
- xi. एनसीईआरटी, नई दिल्ली को अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) अनिवार्य रूप से बनाना होगा, अपने छात्रों की पहचान करनी होगी और उनके क्रेडिट स्कोर को डिजिटल लॉकर में अपलोड करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि क्रेडिट स्कोर एबीसी पोर्टल में प्रदर्शित हों और समर्थ ई-गवर्नेंस को अपनाएगा।

पू.कि.बनर्जी

(पूर्णदु किशोर बनर्जी)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: +91 11 24015038

प्रबंधक,


भारत सरकार मुद्रणालय,

मिंटो रोड, नई दिल्ली - 110002

प्रति अग्रेषित:

1. सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।

2. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002
3. सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070
4. निदेशक, एनसीईआरटी, श्री अरबिंदो मार्ग, नई दिल्ली।
5. पत्र सूचना कार्यालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
6. महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, ए.आई.यू. हाउस, 16, कोटला मार्ग, नई दिल्ली - 110002
7. संयुक्त निदेशक (प्रशासन) और वेब मास्टर, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली से अनुरोध है कि सीएमआईएस इकाई को उच्चतर शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर इस अधिसूचना को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें।
8. माननीय शिक्षा मंत्री के निजी सचिव।
9. गार्ड फ़ाइल/अधिसूचना फ़ाइल।



(ज्योति रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: +91 11 24014923